



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173830

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7817

सन् 2026

रईस और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : हरीशचंद्र दुबे, राम मोहन

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : अभिषेक श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 240 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 351(3), 352, 190, 191(2), 191(3), 109(1), 311, 308 बी.एन.एस., 2023, थाना - सिविल लाइन्स, जनपद - रामपुर में प्रस्तुत किया गया है, इसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदकगण को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनाकर्तागण का नाम नहीं था। उनके नाम बाद में गवाहों के बयानों में शामिल किए गए। याचिकाकर्ता संख्या 1 का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें 2 प्रकरण शामिल हैं, हालांकि, उसे पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि केवल इसलिए कि आवेदक आवेदक संख्या 1, सह-अभियुक्त शरीफ एवं आमिर, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं, का सहयोगी है, उसे इस प्रकरण में सह-अभियुक्त आवेदक संख्या 2 के साथ अभियुक्त बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि घटना का एक वीडियो किसी तीसरे पक्षकार ने रिकॉर्ड किया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आवेदक घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। यह वीडियो विवेचना अधिकारी को दिया गया है, लेकिन विवेचना अधिकारी जानबूझकर इस वीडियो की सच्चाई की जांच नहीं कर रहे हैं ताकि आवेदकगण के खिलाफ सूचनाकर्ता की मदद की जा सके।

4. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि झूठा फँसाने का कोई कारण नहीं है। विवेचना में आवेदकगण का नाम सामने आया है। आवेदक संख्या 1 का 2 प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है, 4 घायलों के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट की गई है। घायलों में से एक को फ्रंटल बोन फ्रैक्चर के रूप में गंभीर चोट आई है, जो जानलेवा थी। घायलों में से एक की बंदूक भी लूट ली गई और फिर तोड़ दी गई। इसी तरह के प्रकरण में शामिल अन्य अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आवेदक भी संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ज़मानत के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण का नाम नहीं है। इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्तगण - आमिर, नाज़िम और उरमान - को इस न्यायालय ने क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 26668/2026, 25916/2026 और 25059/2026 में नियमित ज़मानत दी है। आवेदक संख्या 2 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक संख्या 1 पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। हालांकि आवेदक दावा करते हैं कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उस वीडियो का हवाला देते हैं जो कथित तौर पर उन्होंने विवेचना अधिकारी को दिया था, लेकिन इस चरण पर इस पहलू पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।



प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 12 घंटे की देरी से दर्ज की गई थी और न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, बेवजह फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकगण को अग्रिम ज़मानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदकगण का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. यदि आवेदकगण - **रईस और जीशान** को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम ज़मानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदकगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- ii. आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं करेंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
- iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उन्हें डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को ज़मानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सचिन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।